**कार्यालय प्रधानाचार्य– महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।**

पत्रांक / मे0का0दे0 / एस0आर0 / नियुक्ति / 2022–23 / दिनांक 29/8/22

## कार्यालय आदेश

Govt. No–950 / 71–2–82 / 2017 दिनांक 07 मार्च 2018, के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा सीनियर रेजीडेन्ट के लिए दिनांक–24.08.2022 को निर्गत Allotment Letter के अनुपालन में डा0 **नाहिद लारी पुत्री मोहम्मद शाहिद लारी रोल नं0–1966103770, को स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग** में सीनियर रेजीडेन्ट वेतनमान रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600 को निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है, और निर्देशित किया जाता है कि अपना प्रभार प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

01. यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश के निर्गत होते ही अपना कार्यभार ग्रहण कर ले।
02. सीनियर रेजिडेन्ट मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नही करेगा और न तो कही प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा।
03. सीनियर रेजिडेन्ट को महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग / कोविड–19 / आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
04. कार्यो में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने की सूचना तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति के साथ महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, राष्ट्रीय चिकित्सा आयेग, नई दिल्ली एवं राज्य चिकित्सा आयोग, लखनऊ को प्रेषित कर दिया जायेगा।
05. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नही होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नही होगा।
06. कार्यस्थल पर नियमितता एवं समयबद्धता अनिवार्य है। बिना प्रतिस्थानी की उपलब्धता के कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
07. किसी भी प्रकार की हडताल या आन्दोलन करने पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, राष्ट्रीय चिकित्सा आयेग, नई दिल्ली एवं राज्य चिकित्सा आयोग, लखनऊ को अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति के साथ प्रेषित कर दी जायेगी।
08. आपको शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपकी नियुक्ति के उपरान्त की सेवायें समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत / निर्धारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में करना आवश्यक होगा।

**संलग्नकः– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्गत आवंटन आदेश की प्रतिलिपि।**

प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तद्दिनांक

पत्रांक / मे0का0दे0 / एस0आर0 / नियुक्ति / 2022–23 / 696
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
03. वित्त नियत्रंक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
05. प्रभारी अधिकारी बेवसाइट, मेडिकल कालेज, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
06. सम्बंधित विभागाध्यक्ष।
07. सूचना पट, कालेज।
08. गार्ड फाईल।

प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।